भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3624

उत्तर देने की तारीखः 15.07.2019

तमिल भाषा पढ़ाना

3624. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार ड्राफ्ट शिक्षा नीति के अंतर्गत देश में उन राज्यों में तमिल भाषा पढ़ाए जाने का है जहां तमिल भाषा नहीं बोली जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे तमिल शिक्षकों की मांग में बढ़ोतरी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितने तमिल शिक्षकों की आवश्यकता होगी?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): सरकार ने नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की है और डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019 देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुभाषी संचार क्षमताओं के संवर्धन के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षा सहित भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित करता है। इसके परिणाम-स्वरुप सभी भारतीय भाषाओं, ऐसी भाषाओं के शिक्षकों और ऐसी भाषाओं के साहित्य के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और देश भर में भाषा शिक्षकों के लिए पदों और अवसरों में वृद्धि होगी; इससे निश्चित रूप से स्नातक छात्रों में ज्ञान की सीमा का विस्तार होगा और अवसर उपलब्ध होंगे। प्रारूप एनईपी 2019 में यह भी है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों और विशेष रूप से अनुसूची 8 की सभी भाषाओं में निवेश करने का एक बड़ा प्रयास होगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य एक दूसरे से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं।

सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

इस स्तर पर, प्रारूप एनईपी 2019 को जनता, भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट और innovate.mygov.in पर अपलोड किया गया है। सरकार सभी हितधारकों के इनपुट्स/सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।

*****